



ऑनलाइन एन.ओ.सी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANDHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

AYODHYA-224001

दिनांक: 10/05/2023

सन्दर्भ संख्या: AWADHUUNI/सब/ 2023 / 1435

संघाची सम्बद्धता-आदेश

उपरोक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (वर्धमानसोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उपरोक्त राष्ट्रीय सम्बद्धता समिति की अनुशांसा एवं कार्यपरिचय की अनुमति (दिनांक: 11/05/2023) से SRI RAM CHANDRA NARAIN SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN को UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

1 BACHELOR OF EDUCATION (2023-2024) (01 ग्रुप) = 50 सीट अतिरिक्त

BACHELOR OF EDUCATION

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनाअन्तर्गत सत्र 2023-2024 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनद्वारा के अनुप्राप्त (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 2- संस्था/महाविद्यालय शासनद्वारा संख्या-2851/सन्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुरंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुरंगत शासनद्वारा का पालन करेगी।
- 3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णतया तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिघमावली/आदेश एवं सुरंगत शासनद्वारा का पालन सुनिश्चित करेगी।
- 6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन संगतता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
- 7- संस्था द्वारा शासनद्वारा संख्या-421/सन्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- 8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वित्त भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की धारणा के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुल सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मि.जी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अल्लोकावली।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Sultanpur मण्डल।
4. चबन्दा, SRI RAM CHANDRA NARAIN SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियन्त्रक, SRI RAM CHANDRA NARAIN SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN, Sultanpur
6. कुलसचिव स्वयंसेवक।
7. सम्बन्धित परावली।

कुल सचिव